बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आदेश

सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024.....**424**..... / पटना, दिनांक–**18.07.2026**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015, पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 एवं आदेश संख्या–9871, दिनांक–25.06.2024 में निहित प्रावधानों एवं शर्त्तों तथा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक–15.07.2026 की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा एवं कैमूर, जमुई (कैम्प नालन्दा) एवं मुजफ्फरपुर (कैम्प कैमूर) में निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों / सहायक शिक्षकों को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–07 मे अंकित आवासीय विद्यालय में नियोजन के आधार पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	संविदा नियोजित शिक्षक का नाम एवं विद्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है	पदनाम	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	कोटि	विषय	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री उमेश पासवान / U.H.S अवगिला रतनी फरीदपुर, जहानाबाद।	प्रधानाध्यापक	08.01.1964 31.01.2024	अनु० जाति	इतिहास	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर
2	मो० तारक प्रवेज / M.W.E उच्च विद्यालय, मुंगेर	प्रधानाध्यापक	15.01.1965 31.01.2025	सामान्य	राजनीतिक शास्त्र	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई
3.	मो० नेयाज अहमद करीमी / उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 शाहीमीनापुर, मुजफ्फरपुर	प्रधानाध्यापक	12.07.1964 31.07.2024	सामान्य	उर्दू	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर
4.	श्रीमती शगुफ्ता यासमीन / Girls Sr. Sec. बिहार शरीफ, नालन्दा	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	12.03.1964 31.03.2024	पिछड़ा वर्ग	उर्दू	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा
5.	श्रीमती रूमाना खातुन / Sr. Sec. School बिहार शरीफ, नालन्दा	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	28.12.1965 31.12.2025	सामान्य	उर्दू	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई
6.	डा० जीवेश कुमार सिंह / +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	11.03.1962 31.03.2022	सामान्य	वनस्पति शास्त्र	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर
7.	डा० अजित कुमार सिंह / बालिका उच्चत्तर माध्यमिक +2 विद्यालय, सलखुआ, सहरसा	उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2	29.01.1962 31.01.2022	सामान्य	गणित	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर
8.	मो० शमीम अहमद / श्री कृष्ण उच्च विद्यालय, चेवाड़ा, शेखपुरा	माध्यमिक शिक्षक	01.01.1965 31.12.2024	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	गणित	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा
9.	श्री अब्दुल हन्नान / प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कोढ़ा, कटिहार	माध्यमिक शिक्षक	15.02.1965 28.02.2025	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	गणित	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई
10.	श्री विनोद कुमार विमल / राजकीयकृत जागेश्वर +2 उच्च विद्यालय, सुपौल	माध्यमिक शिक्षक	04.01.1965 31.01.2025	पिछड़ा वर्ग	विज्ञान	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर

कृ०पृ०उ०

2. संबंधित जिले में विद्यालय प्रारंभ होने पर उपरोक्त शिक्षकों से आवेदन प्राप्त होने पर उक्त जिले में उनको स्थानांतरित किया जाएगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क) (v) तथा 3 (2)(ख) (v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा अथवा आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत उनका सेवा विस्तार अधिकतम निर्धारित उम्र तक के लिए किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा–विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–3978, दिनांक–23.03.2018 की कंडिका–5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

4. संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (5) के तहत योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (मूल में) एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका–(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्त्त का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से अच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–1012 दिनांक–27.01.2022 के आलोक में संविदा नियोजन के उपरांत भी योगदान की तिथि तक सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहत् दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षो में कोई दण्ड (लघु/वृहत) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित होने का मामला यदि संज्ञान में आता हो तो वैसी परिस्थिति में नियोजित कर्मी के द्वारा दिये गये योगदान को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

7. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियोजन के पश्चात किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

8. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा उक्त पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन/संविदा अवधि–विस्तार प्रभावी होगा।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000, दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

10. संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के मानदेय का भुगतान मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–04 अल्पसंख्यको का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0001–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड–30–2225042770001, 28–02 संविदा सेवाएँ मद में उपबंधित बजट से विकलनीय होगा।

11. संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की मानदेय एवं अन्य राशि की निकासी संबंधित जिला के उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

12. संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक के द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों तक अनिवार्य रूप से योगदान विभाग/संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनका नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

13. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(वरूण कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– प्रभारी प्रधानाध्यापक, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा, कैमूर, मुजफ्फरपुर एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– 1. श्री उमेश पासवान, ग्राम–नारायण बिगहा, वार्ड नं०–09, पोस्ट–जहानाबाद, थाना–जहानाबाद, जिला–जहानाबाद, पिन कोड–804408 2. श्री मो० तारक प्रवेज, ग्राम–दिलावारपुर (कालीस्थान कहारटोली), पोस्ट–मुंगेर, थाना–पुरबसराय, जिला–मुंगेर, पिन कोड–811201 3. श्री मो० नेयाज अहमद करीमी, ग्राम+पो०– रामपुर सधरी, थाना–औराई, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड–843312 4. श्रीमती शगुफ्ता यासमीन, ग्राम–सकुनत कलान, पो०+थाना–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा, पिन कोड–803101 5. श्रीमती रूमाना खातुन, ग्राम–बरादरी नगम कुआँ, पो०+थाना–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा, पिन कोड–803101 6. श्री डा० जीवेश कुमार सिंह, ग्राम–गौतम नगर गंगाजला सहरसा, पो०+थाना–सहरसा, जिला–सहरसा, पिन कोड–852201 7. श्री अजित कुमार सिंह, ग्राम+राजेन्द्र नगर प्रताप पथ, वार्ड–15, पो०+थाना–सुपौल, जिला–सुपौल, पिन कोड–852131 8. श्री मो० शमीम अहमद, ग्राम+पो०–चेवाड़ा, थाना–चेवाड़ा, जिला–शेखपुरा, पिन कोड–811304 9. श्री अब्दुल हन्नान, ग्राम–हासिमपुर बरारी (मुस्लिम टोला), वार्ड–03, पो०–गुरूबाजार, थाना–बरारी, जिला–कटिहार, पिन कोड–854104 10. श्री विनोद कुमार विमल, ग्राम+पो०–रामपट्टी, थाना–बहादुरपुर, जिला–पटना, पिन कोड–800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–सं० सं०–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)11 / 2024.....**2767**..... / पटना, दिनांक–**18.07.2026**

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.07.2026
सरकार के अवर सचिव